

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2020/6703

दिनांक:- 17 दिसम्बर, 2020

-: आ-दे-श :-

(I)

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.06.2020 के द्वारा जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र का जयपुर महानगर-प्रथम व जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्रों में विभाजन होने पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/IA-4(i)(a)47/2020/6014 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय (जो वर्तमान में जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र में पदस्थापित हैं) का पुनर्आवंटन (reallocation) जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में होने के कारण इनका निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम न्यायालय जिसमें पदस्थापन किया जाता है
1	BASANT KUMAR MATHUR	ACJ&MM No. 1
2	KAILASH CHANDRA PAREEK	ACJ&MM No. 4
3	KANARAM KUMAWAT	Spl. MM (NI Act Cases) No. 13
4	MAHESH KR. ADWANI	ACJ&MM No. 7
5	MANISH KUMAR	ACJ&MM No. 6
6	MANOJ KUMAR SHARMA	ACJ&MM No. 11
7	OM PRAKASH SHARMA	ACJ&MM No. 18 (Sanganer HQ)
8	PRITI KANWAR	ACJ&MM No. 12
9	RAJAN SHAKARWAL	ACJ&MM No. 15 (Bassi HQ)
10	RAJESH KR. AGARWAL	ACJ&MM No. 8
11	SHRI KRISHAN SHARMA	ACJ&MM No. 17 (Sanganer HQ)
12	SOMDUTT SHARMA	Spl. MM (NI Act Cases) No. 1
13	VIKRAM SINGH SHEKHAWAT	ACJ&MM No. 2

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे सीधे संबंधित पदस्थापन न्यायालय में कार्य ग्रहण करें तथा सूचना इस कार्यालय को भिजवायी जावे।

(II)

प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1	आशीष शर्मा	ACJ&MM No. 16 (Bassi HQ)	ACJ&MM No. 19 (Chaksu HQ)	लक्ष्मण सिंह चौहान
2	लक्ष्मण सिंह चौहान	ACJ&MM No. 19 (Chaksu HQ)	CJ&MM East	रिक्त पद पर

नोट:-

- 01 श्री कानाराम कुमावत आशुलिपिक ग्रेड-III को आगामी आदेश तक न्यायालय एन0आई0 एक्ट प्रकरण क्रम-13 से जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम में कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है।
- 02 उक्त कर्मचारीगण को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

374
17.12.20